भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 249980

अरिहन्त एजूकेशनल ट्रस्ट ललितपुर (उ0प्र0) का विधान

1. ट्रस्ट का नाम : अरिहन्त एजूकेशनल ट्रस्ट–ललितपुर (उ0प्र0)

2. उद्देश्य

1– अल्पसंख्यक समाज व अन्य समुदाय में फैली अशिक्षा एवं कुरीतियों को दूर करना तथा शिक्षा का प्रसार करना तथा युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा भारत का प्रबुद्ध नागरिक बनाना। उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक, औद्योगिक, तकनीकी कृषि, आध्यात्मिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य एवं पेरामेडिकल शिक्षा का प्रसार करना।

2– शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

(क्रमशः.....2)

TREASURY OFFICE
LALITPUR
04 AUG 2015
CHIEF CASHIER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 249979

3– प्रान्तीय राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लिये आर्थिक सहायता लेना और उनके दिशा–निर्देशों पर कार्यक्रमों का संचालन करना।

4– छात्रावासों, पुस्तकालयों एवं वाचनालयों, पैरामेडीकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेडीकल कॉलेज, तकनीकि एवं गैर तकनीकि कॉलेजों की स्थापना करना तथा शिक्षा विकास के लिये पत्र पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन करना।

5– संस्था के विकास एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, गैर सरकारी संस्थाओं, वित्तीय निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंको, समाजसेवी संस्थाओं से वित्तीय सहायता एवं अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना।

6– अन्य शिक्षण संस्थाओं की फ्रेन्चाइजीं लेना एवं अन्य संस्थाओं को ट्रस्ट की ओर से फ्रेचनाइजीं देना।

(क्रमशः.....3)

क्रमांक 1452 दिनांक 11.8.15

प्रयोजन ...

क्रेता श्रीमती भागवती ... पन्नेराम ...

नि० ...

स्टाम्प विक्रेता का नाम ... नाथ पटेल

लाइसेंस नं०-50 1500 ...

लाइसेंस की अवधि 31-03-2016

विक्रय करने का स्थान तहसील परिसर ललितपुर

TREASURY OFF...
LALITPUR
04 AUG 2015
CHIEF CASHIER

सत्यमेव जयते

कलेक्टर ललितपुर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश

7– ऐसे सभी कार्य करना जो ट्रस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1882 के अनुसार आवश्यक एवं जनहित में हो।

8– ट्रस्टी केवल ट्रस्ट के लाभ–हानि की स्थिति में ट्रस्ट की संपत्ति तक ही जिम्मेदार होगें, अन्य नही।

3– कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष

4– प्राक्कथन : मैं **श्रीमती भागवती जैन पत्नी श्री गुलाबचन्द्र जैन तनय श्री पल्टूराम जैन, निवासी 860 हरदीला, ललितपुर** हम लोगों समाजसेवा के उद्देश्य से पवित्र भावना प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु जिसका कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक अभाव है, **अरिहन्त एजूकेशनल ट्रस्ट, ललितपुर** की स्थापना करने का दृढ़ संकल्प करते हैं और इस हेतु अपनी जमापूंजी से 11,000/–रू0 ग्यारह हजार रूपये की धनराशि एक पवित्र कार्य के लिये इस ट्रस्ट को सौंप रही हूँ। इसके अलावा ट्रस्ट के नाम कोई चल व अचल संपत्ति नही है। जिसके हेतु ट्रस्ट डीड में वर्णित 07 सदस्य ट्रस्टीज के रूप में मनोनीत करते हैं एवं भविष्य में जो भी दान द्वारा क्रय करने पर चल–अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट/शिक्षण संस्था को प्राप्त होंगी वह सभी ट्रस्ट प्रोपर्टी रहेंगी। उपरोक्त 07 सदस्य उपरलिखित सम्पत्ति के सदैव के लिये निम्नलिखित शर्तों एवं अधिकारों के साथ ट्रस्टी रहेंगें।

1. इस ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था का नाम संस्कार वैली एकेडमी, ललितपुर/अन्य नाम भी हो सकते है।
2. इस ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना होगा। जिससे वे इस देश का सुयोग्य नागरिक बन सकें।
3. इस ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट की सम्पत्ति को उपरलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन कर सकें। प्रतिबन्ध यह होगा कि इन उद्देश्यों के अतिरिक्त यह सम्पत्ति न तो अन्य कार्यो में व्यय नही की जा सकती है और न अन्यथा नियोजित की जा सकती है।

(क्रमशः.....4)

भागवती जैन

4. यह ट्रस्ट उपरलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी व्यक्ति या संस्था से दान ग्रहण करने के लिये अधिकृत रहेगा।

5. हम **अजय कुमार जैन** निवासी ललितपुर को इस ट्रस्ट का आजीवन प्रबन्धक नियुक्त करते है। हमारे मरणोपरान्त हमारे ज्येष्ठ वयस्क उत्तराधिकारी उपरोक्त पदों पर उसी प्रकार रहेंगे। हम यह भी अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यदि हम चाहें और परिस्थितियों हो तो अपने जीवनकाल में ही आवश्यकतानुसार अपने निजी योग्य उत्तराधिकारी को अपने पद पर वर्तमान अथवा भविष्य अथवा दोनों के लिये मनोनीत स्वेच्छा अनुसार कर सकेंगे।

6. नियम 5 में वर्णित उत्तराधिकारी के अभाव में ट्रस्ट के सदस्य बहुमत द्वारा हमारे पृथक–पृथक एवं संबंधियों में से किसी योग्य व्यक्ति को हमारे रिक्त पदों पर निर्वाचित करने के लिये अधिकृत हैं।

7. उपरोक्त पद के अतिरिक्त केवल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, एवं लेखानिरीक्षक के चार अन्य पद होंगे। जिनका मनोनयन 05 वर्ष के लिये प्रबन्धक द्वारा सदस्यों में से किया जायेगा।

8. किसी ट्रस्टी की गंभीर शारीरिक, अक्षमता, मानसिक विकृति, त्याग--पत्र एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरूद्ध आचरण सिद्ध होने की स्थिति में इनमें से किसी एक या एकाधिक होने पर ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ट्रस्ट की सदस्यता से वंचित कर सकते हैं।

9. ट्रस्ट के रिक्त स्थान की पूर्ति बहुमत से होगी। प्रतिबंध यह कि बहुमत ट्रस्ट की कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो।

10. समान मतदान होने पर अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

भागवती जैन

(क्रमशः.................5)

Ajay Jain

11. ट्रस्ट की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी जिसमें अन्य कार्यों के साथ पूरे वर्ष का आय–व्यय का ब्यौरा लेखा निरीक्षक से निरीक्षित कराकर कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

12. ट्रस्ट की बैठकों को अध्यक्ष/प्रबन्धक आहूत करेगा। अध्यक्ष/प्रबन्धक के लिये यह भी मान्य होगा कि यदि ट्रस्ट के आधे से अधिक सदस्य बैठक बुलाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तो वह ट्रस्ट की बैठक बुलायें। उन विशेष उपबन्धें को छोड़कर जिनका वर्णन आलेख के अनुच्छेद 8 व 9 में किया गया है, ट्रस्ट की बैठक के लिये गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होगी।

13. इन आलेख में वर्णित उद्देयों की पूर्ति के लिये स्थापित संस्था **अरिहन्त एजूकेशनल ट्रस्ट ललितपुर** के संचालन एवं प्रबन्ध हेतु यह ट्रस्ट प्रत्येक 05 वर्ष के लिये एक प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करेगा। जिसके लिये आवश्यक नियम बनाने का अधिकार भी ट्रस्ट का होगा। इस काल में भी प्रबन्धकारिणी समिति का संस्था के विरूद्ध आचरण एवं कुशासन के आरोप सिद्ध होने पर ट्रस्ट अपने उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति को भंग कर नई प्रबन्धकारिणी समिति का गठन नियमानुसार सम्पन्न करेगा एवं नई प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होने के पहले अन्तरिम काल में संस्था के समस्त प्रबन्ध की व्यस्था किसी एक ट्रस्टी अथवा इसके कुछ ट्रस्टियों की उप समिति बनाकर करेगा।

14. ट्रस्टियों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर यदि कोई ट्रस्टी को न्यायालय में ले जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक संस्था के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नही किया जा सकता है।

15. इस ट्रस्ट आलेख को हम दोनों या हम दोनों के उत्तराधिकारियों को कभी भी विखण्डित करने का अधिकार न होगा। लेकिन आवश्यकतानुसार एवं परिस्थितियों के अनुसार ट्रस्ट डीड में संशोधन करने का अधिकार बहुमत से होगा।

भगवती जैन

Anujain

(क्रमशः.....6)

16. ट्रस्ट की पूंजी एवं सम्पत्तियों का विनियोजन प्राधिकृत बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैकों के खातों में किया जायेगा। यह कार्य प्रबन्धक एवं अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण संस्थान खोलने की दशा में कॉलेज का नाम **अरिहन्त एजूकेशनल ट्रस्ट** के अधीन होगा। जिसकी समिति निम्नवत गठित की जायेगी व कार्य करेगी।

17– प्रबन्धक समिति की संरचना, कार्य एवं अधिकार :–

प्रबन्धक समिति का गठन – प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या 07 होगी जिसमें से प्रबन्धक व अध्यक्ष के अतिरिक्त कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं आडीटर के चुनाव शेष 06 सदस्यों में से होगे तथा बचे हुये ट्रस्टी प्रबन्ध कार्यकारिणी के सदस्य रहेगें।

1– 05 (पांच) सदस्य अपने सदस्यों में से निर्वाचित करेगी।

2– उपरोक्त 07 संस्थापक सदस्यों के अतिरिक्त जो भी ट्रस्टी बढ़ाया जायेगा, वह ऐसे दान दाताओं में से सर्वसहमति से निर्वाचित होकर आयेगा जो इस संस्था अरिहन्त एजूकेशनल ट्रस्ट, ललितपुर को रूपया 50,000 या उससे अधिक की धनराशि एकमुश्त दान देगें। प्रतिबन्ध यह है कि यह सुविधा दानदाता को उसके जीवन पर्यन्त ही उपलब्ध रहेगी।

3– प्रबन्ध समिति के सदस्यों से अध्यक्ष का चयन प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के माध्यम से किया जायेगा एवं ट्रस्ट का प्रबन्धक ही प्रबन्ध कार्यकारिणी का प्रबन्धक रहेगा।

4– पदाधिकारी –

1– प्रबन्धक

2– अध्यक्ष

3– उपाध्यक्ष

4– कोषाध्यक्ष

5– आडीटर

(क्रमशः.....7)

18– आडीटर

उपरोक्त पदों में से अध्यक्ष के अतिरिक्त शेष पदाधिकारियों का निर्वाचन प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा साधारण बहुमत से गुप्त मतदान द्वारा ट्रस्ट द्वारा निर्वाचित 05 ट्रस्टियों में से होगा। केवल आडीटर का निर्वाचन प्रबन्धकारिणी समिति के अन्य सदस्यों में से किया जा सकता है।

19– **सदस्य की अयोग्तायें :–**

1. संस्था के सभी बेतनभोगी कर्मचारी, प्राचार्य एवं प्राध्यापक प्रतिनिधि के अतिरिक्त
2. 18 वर्ष की कम आयु का व्यक्ति
3. मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति

20– **प्रबन्धकारिणी समिति के कार्य एवं अधिकार**

1– प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक प्रति 06 माह में एक बार अनिवार्यतः आहुत की जावेगी, जिसकी सूचना एक सप्ताह पूर्व प्रसारित की जायेगी। आवश्यक बैक केवल तीन दिन की पूर्व सूचना आहूत की जा सकती है। बैठक की पूर्व सूचना के साथ कार्य सूची आवश्यक होगी।

2– प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के निकट को बैठक में पिछले वर्ष आय–व्यय का लेखा समिति के निर्वाचित लेखा निरीक्षक द्वारा निरीक्षित अवश्य ही प्रस्तुत किया जायेगा तथा आगामी वर्ष का आय–व्यय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्त लेखाओं का निरीक्षण करने का अधिकार प्रबन्धकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को होगा। प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा पारित होने पर आय–व्यय अनुमोदनार्थ ट्रस्ट में रखा जावेगा। ट्रस्ट के द्वारा अनुमोदित होने पर संस्था के सभी खर्च सम्बन्धी कार्य प्रबन्धक के लिखित अनुमति से किये जायेंगें तथा चैको पर हस्ताक्षर प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा निकाले जायेगें। और वार्षिक आय–व्यय पारित हुआ समझा जावेगा।

(क्रमशः.....8)

प्रबन्धकारिणी समिति के कोष का नियोजन :-

(क) 1. सरकारी प्रतिभूतियों में

2- अचल सम्पत्ति में

3- बैंकों में सावधि खाते में (फिक्सड डिपोजिट्स)

4- रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के हिस्सा पूंजी में

5- किसी बैंक के बचत खाते में

(ख)- धन संग्रह करना -

(ग)- संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यय करना

(घ)- प्रबन्धकारिणी समिति के अभिलेखों की व्यवस्था रखना एवं रिपोर्ट को सदस्यों के समक्ष उपस्थित करना।

(ड)- संस्था के सावधि खाते ऋण लेना

(च)- राजकीय अनुदान एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयेाग से प्राप्त अनुदानों का निर्दिष्ट नियमों के अनुसार नियोजन की व्यवस्था करना।

4 - बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी एवं अन्य विश्वविद्यालय (जो शिक्षण की मान्यता देने में सक्षम हैं।) सी0बी0एस0सी0 बोर्ड दिल्ली, यू0पी0स्टेट बोर्ड, आई0सी0एस0सी0, आई0एस0सी0 बोर्ड दिल्ली, के नियमानुसार प्रबन्धकारिणी समिति अपने सदस्यों में से नियुक्ति एवं अर्थ - उपसमितियों का गठन करेगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य उपसमितियों के गठन का अधिकार भी प्रबन्धकारिणी समिति को रहेगा।

5- प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक के लिये कुल सदस्यों का 1/3 गणपूर्ति आवश्यक होगा। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के अनन्तर आहूत बैठक के लिये गणपूर्ति का प्रतिबन्ध शिथिल समझा जायेगा।

भागवती

(क्रमशः.................9)

यास पत्र

न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
11,000.00	110.00	20	130.00	800

श्रीमती भागवती जैन
पत्नी श्री गुलाब चन्द्र जैन नि0 860 हरदीला ललितपुर
व्यवसाय गृहिणी
निवासी स्थायी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/8/2015 समय 5:01PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

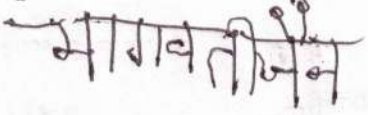

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विशुनलाल वर्मा प्र0
उपनिबंधक सदर,
ललितपुर
11/8/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

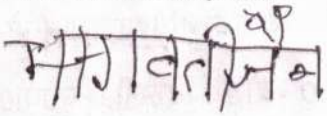

श्रीमती भागवती जैन
पत्नी श्री गुलाब चन्द्र जैन नि0 860 हरदीला
ललितपुर
पेशा गृहिणी
निवासी

श्री अजय कुमार जैन द्वारा ट्रस्टी अरिहन्त
एजूकेशनल ट्रस्ट
पुत्र श्री चम्पा लाल जैन नि0 हरदीलापुर
पेशा व्यापार
निवासी

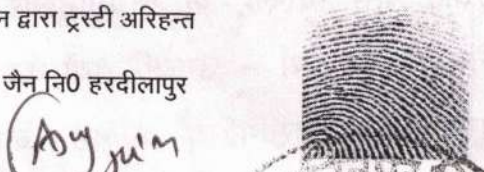

6– कार्यसूची के अतिरिक्त अन्य प्रस्ताव भी अध्यक्ष की अनुमति से कोई सदस्य रख सकेगा किन्तु ऐसा प्रस्ताव कम से कम एक अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

7– विद्यालय/महाविद्यालय के प्राध्यापकीय एवं लिपिक मण्डल/मिनिस्ट्रीयल स्टाफ की नियुक्ति, स्थायीकरण पदोन्नति निलम्बन एवं निष्कासन प्रबन्धकारिणी समिति विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित बोर्ड, सी0बी0एस0सी0, यू0पी0बोर्ड, आई0सी0एस0सी0 बोर्ड आदि के नियमानुसार करेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति अपने प्रस्ताव द्वारा प्राचार्य की प्राचार्य की संस्तुति पर विभागाध्यक्ष की तथा प्राचार्य से विचार–विमर्श कर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर संस्था के किसी प्राध्यापक के विश्वविद्यालय के आचार संहिता, नियम तथा उपनियमों के अनुसार नियुक्ति, स्थायीकरण, निलम्बन तथा निष्कासन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही जो इनके विषय में उचित हो, कर सकती है।

विद्यालय/महाविद्यालय के अन्य कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर जिनके संबंध में प्राचार्य को अधिकार प्राप्त है) की नियुक्ति, निलम्बन तथा निष्कासन का अधिकार प्राचार्य की संस्तुति पर प्रबन्धकारिणी समिति को होगा। प्रबन्धकारिणी समिति अपने इस अधिकार को प्रस्ताव द्वारा प्रबन्धक को हस्तान्तरण कर सकती है और प्रबन्धक द्वारा इस अधिकार का प्रयोग किये जाने पर दण्ड संबंधी उसके निर्णयों की अपील उसके माध्यम से प्रबन्धकारिणी समिति सुनेगी तथा निर्णय देगी।

21– प्रबन्धकारिणी समिति के विधान में परिवर्तन, बिना उप कुलपति की पूर्वानुमति के संभव न होगा।

(क्रमशः.....10)

22– संस्था से संबंधित सभी विवाद और उन पर सभी प्रकार की न्यायलय संबंधी कार्यवाहियां जो संस्था की ओर से या संस्था पर की गई हों, साधारणतया मंत्री– प्रबन्धक के नाम से होगीं। विशेष आवष्यकता पर इस कार्य के लिये प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा मनोनीत सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा भी की जा सकेगी।

23– प्रबन्धकारिणी समिति का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के अनुबन्ध अथवा प्रबन्धकारिणी समिति के साथ किसी भी प्रकार का लेन–देन जो आर्थिक उपलब्धि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधित हो तथा किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक या अन्य प्रकार का भुगतान उसके द्वारा समदित विद्यालय/ महाविद्यालय अथवा ट्रस्ट के किसी कार्य के लिये हो, किसी व्यवसायिक या अन्य किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।

24– विद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विद्यालय/विश्वविद्यालय जिससे कि संस्था को मान्यता प्राप्त है, द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियम, प्रबन्धकारिणी समिति को पूर्णरूपेण मान्य होगें।

25– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों को संस्था के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

26– समिति की ओर से किसी भी प्रकार के लिये गये अनुबन्ध एवं बिलेख अध्यक्ष तथा प्रबन्धक द्वारा उनकी मुहर समिति हस्ताक्षरित होंगे।

27– अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार :–

1. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
2. प्रबन्धकारिणी समिति में संस्था के हित संबंधी सभी प्रस्तावों पर मत लेगा एवं निर्णयों को प्रबन्धक द्वारा क्रियान्वित करायेगा।
3. संस्था के सभी कर्यों पर नियंत्रण एवं देखरेख करेगा।
4. समान मत विभाजन पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(क्रमशः.....11)

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री **मनीष कुमार जैन**

पुत्र श्री **उत्तम चन्द्र जैन नि0 135 महावीरपुरा**

पेशा **व्यापार**

निवासी

व श्री **शीलचन्द्र जैन एड0**

पेशा **वकालत**

निवासी

ने की ।

पत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विशुनलाल वर्मा प्र0
उपनिबंधक सदर,
ललितपुर
11/8/2015

5. प्रबन्धकारिणी समिति की सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा बैठक बुलाने का लिखित प्रतिवेदन आने पर अध्यक्ष प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक आहूत करेंगे।
6. समय–समय पर प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा दिये गये कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का सम्पादन करें।
7. बैंक खातों के संचालन हेतु प्रबन्धक–कोषाध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करेगा।
8. ऐसे अधिकार जिनके बारे में इस प्रकरण में व्यवस्था न हो पायी हो उनमें अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

28– उपाध्यक्ष कार्य एवं अधिकार :–

अध्यक्ष के ललितपुर से एक सप्ताह से अनुपस्थित रहने तथा कार्य में किसी कारण अक्षम होने पर उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के अधिकारियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा इसके लिये लिखित निर्देश देने पर उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के किसी भी एक अथवा अधिक अधिकार का प्रयोग करेंगे।

29– प्रबन्धक के कार्य एवं अधिकार :–

1. प्रबन्धक संस्था के सामान्य प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ संचालन करेगा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही को लिपिबद्ध करेगा एवं व्यवस्थित रखेगा।
2. बैंक खातों के संचालन हेतु चैकों पर हस्ताक्षर करेगा एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर करायेगा।
3. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति की संस्था के हित में तथा संस्था के नाम से प्रबन्धकारिणी समिति की स्वीकृति पर आवश्यकतानुसार नियोजन करेगा।

(क्रमशः.....12)

न्यासी

Registration No.: 52 Year : 2,015 Book No. : 4

0101 **भागवती जैन**

गुलाब चन्द्र जैन नि0 860 हरदीला ललितपुर

गृहिणी

0102 **अजय कुमार जैन द्वारा ट्रस्टी अरिहन्त एजूकेशनल ट्रस्ट**

चम्पा लाल जैन नि0 हरदीलापुर

व्यापार

4. संस्था के हित के लिये दान स्वीकार करेगा।
5. संस्था के सदस्यों की नामावली रखेगा और संस्था के आय–व्यय संबंधी पंजिकायें व्यस्थित करेगा।
6. समय–समय पर समिति द्वारा सौंपे गये कार्य करेगा।
7. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक कार्य सूची भेजते हुये बुलायेगा।
8. बजट के अतिरिक्त आवश्यकता पडने पर रूपये 500 तक के व्यय की स्वीकृति देगा। ऐसे व्यय का विवरण प्रबन्धकारिणी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
9. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करेगा।

30– कोषाध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार :–

अध्यक्ष, प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा वे अन्य कार्य करेगा जिसके लिये प्रबन्धक अथवा अध्यक्ष लिखित निर्देश दें।

31– लेखानिरीक्षक के कार्य एवं अधिकार :–

समिति द्वारा किये गये आय–व्यय के लेखों का निरीक्षण करेगा एवं अपनी आख्या प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

32– प्राक्कथन में ट्रस्टियों की संख्या 07 वर्णित है, आवश्यकता होने पर इनकी संख्या विधिवत प्रस्ताव पास करके बढायी जा सकती है।

अतएव मन, बुद्धि व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में यह ट्रस्ट डीड अंकित कर दिया कि प्रमाण रहे, समय पर काम आवें।

प्रारूप तैयारकर्ता – श्री शीलचन्द्र जैन, एडवोकेट

टाइपकर्ता –

दिनांक :– 11-08-2015

प्रबन्धक

गवाह –

1–

2–

आज दिनांक **11/08/2015** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **37**

पृष्ठ सं. **333** से **356** पर कमांक **52**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विशुनलाल वर्मा प्र0
उपनिबंधक सदर,
ललितपुर
11/8/2015

मैं श्रीमती भागवती जैन पत्नी श्री गुलाबचन्द्र जैन तनय श्री पल्टूराम जैन निवासी 860 हरदीला, ललितपुर हम लोगों समाजसेवा के उद्देश्य से पवित्र भावना प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु जिसका कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक अभाव है, **अरिहन्त एजूकेशनल ट्रस्ट, ललितपुर** की स्थापना करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। ट्रस्ट के नियमानुसार निम्न प्रकार कार्य सौपें जायेगें।

क्र0 सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	अजय कुमार जैन	श्री चम्पालाल जैन	प्रबन्धक	[illegible]
2.	श्रीमती नीता जैन	श्री अनिल कुमार जैन	अध्यक्ष	NITA JAIN
3.	श्रीमती सारिका जैन	श्री अविरल जैन	उपाध्यक्ष	[illegible]
4.	श्रीमती संध्या जैन	श्री अभय कुमार जैन	कोषाध्यक्ष	Sandhya Jain
5.	श्रीमती लता जैन	श्री मुकेश जैन	आडीटर	Lata Jain
6.	रजनीश जैन	श्री दयाचन्द जैन	सदस्य	[illegible]
7.	परमात्म प्रकाश भारिल्ल	श्री हुकुमचन्द्र जैन	सदस्य	[illegible]

वित्तीय सम्बन्धी लेखा–जोखा कोषाध्यक्ष के द्वारा संपादित किया जायेगा और बैंक चेकों पर हस्ताक्षर प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष / अध्यक्ष के संयुक्त रूप से किये जायेंगे।

अध्यक्ष
अरिहन्त एजूकेशनल ट्रस्ट
860,हरदीला ललितपुर उ0प्र0
NITA JAIN

प्रबन्धक
अरिहन्त एजूकेशनल ट्रस्ट
860, हरदीला,ललितपुर (उ0प्र0
11/08/15

कोषाध्यक्ष
अरिहन्त एजूकेशनल ट्रस्ट
860 हरदीला,ललितपुर (उ0प्र0
Sandhya Jain

भागवती जैन